

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:-

1095

/FP/UK/ROAD/42789/2019 दिनांक: देहरादून

अक्टूबर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौरा-सारी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.740 हे० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/42789/2019

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 06.08.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 06.08.2021 के क्रम में चाही गयी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 1271/12-1 (1) दिनांक 12.10.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In compliance to condition no.3 the same of the CA area has been mentioned as 'Naugungaad' instead of 'Jalkurgaad' state Government may submit clarification in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपणा हेतु जलकुरगाड क०स०-22 बी चयनित किया गया है। अनुपालन आख्या में टंकण त्रुटि के कारण "जलकुरगाड" के स्थान पर "नगुनगाड" लिखा गया है। अतः इसे जलकुरगाड ही समझा जाए।
2	In reply to point.28, the State Government is requested to take up the matter with National CAMPA at their level and a copy of the same may be intimated to this office so that, if required, this office may take up the matter with the national CAMPA for further necessary action.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त कमी का निराकरण उच्च स्तर से किया जाना अपेक्षित है, लिखा गया है जिस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सं०-1078, दिनांक-26.10.2021 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पोर्टल पर आ रही तकनीकी कठिनाई को ऑनलाईन ठीक करने हेतु वन महानिरीक्षक, तदर्थ कैम्पा, (एफ० सी०), नई दिल्ली को लिखा गया है। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं०-2682/दिनांक-17.04.2021 द्वारा उक्त तकनीकी कठिनाई को सही करने हेतु लिखा गया था किन्तु आतिथि तक प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

पत्रांक 1095 / FP/UK/ROAD/42789/2019 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- श्री धीरज पाण्डे, वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
- श्री पुनीत तोमर, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी के पत्रांक-1271/12-1 दिनांक-12.10.2021 के क्रम में
- अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी, को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के संबंध में प्रश्नगत प्रस्ताव की तकनीकी खराबी को ठीक करवाने हेतु अपने स्तर से भारत सरकार, एन.आई०सी०, नई दिल्ली में सम्पर्क कर उक्त तकनीकी कठिनाई को ठीक करवाने का कष्ट करें।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,